(134)

न्यायालयश्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा, म0प्र0

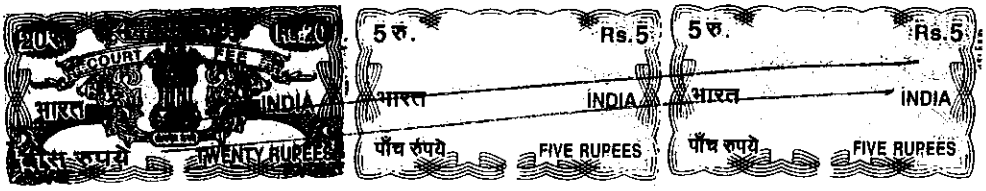

R 5373-II/16 Rs. 301/-

1- शकुन्तला पति कपिल राम बा.

2- कपिल राम तनय लाल जी राम बा.

निवासी ग्राम छरकटा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

:------ निगरानीकर्ता

आधि० श्री आर. के. देव, पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत 24-8-16

बनाम

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1- शिवराम } तीनो के पिता ददन राम बा. साकिन छरकटा, तहसील

2- गोबिन्दराम } चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

3- मुरारी राम }

4-वशिष्ट राम पिता लाल जी राम बा. निवासी ग्राम छरकटा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

5- शिव प्रसाद } दोनो के पिता शिवशरण राम बा. निवासी ग्राम छरकटा,

6- पप्पू प्रसाद } तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

:------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र. 38/अपील/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 29.7.2016, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

=====================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

D. Pandey Adv

... अपनाने ... पारित ... पक का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5373–दो/2016 निगरानी जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, चितरंगी के प्र.क. 38/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–7–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, चितरंगी के आदेश दिनांक 29–7–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–7–16 से नायव तहसीलदार वृत्त कोरावली व्दारा प्रकरण कमांक 8 अ–27/10711 में पारित आदेश दिनांक 8–4–13 से उभय पक्ष के बीच सहखाते की भूमियों का संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–7–16 से निरस्त करके प्रकरण पुनः बटवारा के उद्वेश्य से आगमी कार्यवाही हेतु नियत किया है। नायव तहसीलदार वृत्त कोरावली के आदेश दिनांक 8–4–13 से पक्षकारों के बीच किया गया बटवारा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 29–7–16 से निरस्त करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपील योग्य है यदि ऐसे आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में सीधे निगरानी ग्राह्य कर सुनवाई की जाती है, तब पक्षकार अपील अधिकारी आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय से न्याय पाने के अधिकार से बंचित रहेंगे, जिसके कारण अपील योग्य मामले से परे जाकर राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण करना पक्षकारों	

के हित में नहीं होने से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

सदस्य